

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

संख्या-206 / 1 / ई-3 / 2019-20

प्रयागराज, दिनांक: 18 जनवरी, 2021

विज्ञप्ति

उ0प्र0 सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) (मुख्य) परीक्षा-2019 में सफल घोषित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार निम्न कार्यक्रमानुसार सम्पन्न होने हैं :-

साक्षात्कार तिथि	अनुक्रमांक	
	प्रथम सत्र (पूर्वाह्न 9.00 बजे)	द्वितीय सत्र (अपराह्न 01.00 बजे)
28.01.2021	000282 - 025560	025857 - 055687
29.01.2021	055869 - 083015	083263 - 123587
30.01.2021	124784 - 169457	169624 - 200937
01.02.2021	202320 - 238134	239174 - 286646
02.02.2021	287145 - 326714	326894 - 370549
03.02.2021	371926 - 430641	431046 - 464465
04.02.2021	465578 - 504049	505825 - 543368

2. अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट <http://uppsc.up.nic.in> के 'Home Page' पर 'Click here for download Interview letter for PCS Exam. 2019' पर Click करके Registration no. & Basic Details (जन्म तिथि, लिंग, निवास, श्रेणी इत्यादि) दें। निर्देशों एवं प्रक्रिया का भली-भाँति अध्ययन करने के उपरान्त उसका पालन करते हुये प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सूचनायें भरकर पूर्ण संतुष्ट होकर 'SAVE/SUBMIT' कर दें। सभी स्तरों पर ऑनलाइन सूचनायें भरने के पश्चात फार्म 'SAVE/SUBMIT' कर दें। ऑनलाइन 'SAVE/SUBMIT' किये गये फार्म सेट को डाउनलोड कर लें। इसके अतिरिक्त पदों का विवरण, जाति प्रमाण-पत्र, EWS का प्रमाण-पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण-पत्र, विकलांगता का प्रमाण-पत्र, भू0पू0सै0 का प्रमाण-पत्र के प्रारूप की PDF File वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि समस्त सूचनाओं को ऑनलाइन सही-सही भर कर आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र, देशना पत्रक, अंकतालिका विवरण व अधिमान्यता प्रपत्र डाउनलोड कर मुद्रित करके उसके साथ समस्त शैक्षिक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों का एक सेट तैयार कर उस फार्म सेट के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर एवं स्व-प्रमाणित फोटो की दो प्रति तथा तीन आवक्ष सादी फोटो अर्थात् कुल 05 फोटो सहित नियत तिथि को प्रथम सत्र में पूर्वाह्न में 9.00 बजे एवं द्वितीय सत्रमें अपराह्न 01.00 बजे आयोग परिसर प्रयागराज में स्थित यमुना भवन/सरस्वती

.....2

भवन में पहुँचना सुनिश्चित करें। साक्षात्कार के समय शैक्षिक अर्हताओं से संबंधित समस्त अंकतालिकाओं/उपाधि एवं प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां भी अपने साथ अवश्य लाएं।

उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-

(क) उ0प्र0 के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दावे के समर्थन में निर्धारित नवीनतम प्रारूप पर जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र/अन्य प्रमाण-पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ख) केन्द्र अथवा राज्य सरकार में कार्यरत अभ्यर्थी को सेवायोजक द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र मूल रूप में।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों के अभाव में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनुसचिव

**सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 में
सम्मिलित पदों का विवरण**

साक्षात्कार के समय अधिमान्यता प्रपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व संलग्न अधिमान्यता प्रपत्र भरने हेतु अभ्यर्थी निम्नलिखित सूचनाओं/निर्देशों को ध्यान में रखें।

अधिमान्यता के लिए पदों का विवरण

क्र.सं	पदनाम/विभाग का नाम/ वेतनमान	अर्हताएं (अनिवार्य एवं अधिमानी)	कुल पद
1.	डिप्टी कलेक्टर (नियुक्ति अनुभाग-3) रु0 15600-39100+5400 पुनरीक्षित वेतनमान रु 56100-177500 मैट्रिक्स लेवल-10	स्नातक अधिमानी- 1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	46
2.	कार्य अधिकारी (पंचायती राज अनुभाग-2) रु0 15600-39100+5400	स्नातक	08
3.	सहायक आयुक्त, उद्योग (सूक्ष्म एवं मध्यम अनुभाग-1) रु0 15600-39100+5400 पुनरीक्षित वेतनमान रु 56100-177500 मैट्रिक्स लेवल-10	स्नातक अधिमानी- 1-व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि या 2-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 3-राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	19
4.	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1) रु0 9300-34800+4800 पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-8 के अनुसार	(क)स्नातक (ख)देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान। अधिमानी- 1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	01
5.	खण्ड विकास अधिकारी (ग्राम्य विकास अनुभाग-1) रु0 15600-39100+5400 पुनरीक्षित वेतनमान रु 56100-177500 मैट्रिक्स लेवल-10	स्नातक अधिमानी- 1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	34

6.	सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी (श्रम अनुभाग-5) रु0 9300-34800+4600	स्नातक अधिमानी- 1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।	08
7.	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी (दिव्यांग जन सशक्तीकरण अनुभाग-1) पुनरीक्षित वेतनमान रु0 47600-138300 मैट्रिक्स लेवल-8	(क) स्नातक अधिमानी-(1)भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य या मानव विज्ञान या मनोविज्ञान और सहबद्ध क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा किसी संस्था से विभिन्न प्रकार के निःशक्तता, पुनर्वासन के क्षेत्र में विशेषज्ञीय उपाधि/ डिप्लोमा। अधिमानी-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।	05
8.	उपनिबन्धक (निबन्धन विभाग) रु0 15600-39100+5400	विधि स्नातक के साथ देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान। अधिमानी- 1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।	01
9.	सहायक श्रमायुक्त (श्रम अनुभाग-4) रु0 15600-39100+5400	वाणिज्य/विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाज शास्त्र के साथ कला में स्नातक या उसके समकक्ष अन्य अर्हता। अधिमानी- 1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	05
10.	श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्रम विभाग (9300-34800-4600) पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेबल-7	अर्थशास्त्र./समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा विधि/श्रम सम्बन्ध /श्रम कल्याण/श्रम विधि/वाणिज्य/ समाजशास्त्र/समाजकार्य/समाज कल्याण/व्यापार प्रबन्ध/कार्मिक प्रबन्धन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परास्नातक उपाधि।	03

11.	उ०प्र० कृषि सेवा समूह "ख" (विकास शाखा) (कृषि अनुभाग-1) रु० 15600-39100+5400	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता । अधिमानी- 1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो । या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।	02
12.	अभिहीत अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग वेतनमान-रु०15600-39100 ग्रेड पे-5400	1-रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता हो या 2-खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए विहीत अर्हता में से कम से कम एक अर्हता जो निम्नवत् है- (एक) मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव -रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या औषधि में उपाधि । या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष/मान्यता प्राप्त अर्हता, परन्तु किसी व्यक्ति को जिसका विनिर्माण आयात या किसी खाद्य पदार्थ के विक्रय में कोई वित्तीय हित हो, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा । अधिमानी- 1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो । या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।	02
13.	जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी-2 ग्रेड-1 उद्यान अनुभाग वेतनमान-रु० 56100-177500 मैट्रिक्स लेवल-10	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान/उद्यान विज्ञान में स्नातक(बी०एस०सी०(कृषि/उद्यान) उपाधि अधिमानी अर्हता- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उद्यान-कृषि/फल/शाकभाजी/ पुष्प विज्ञान में स्नातकोत्तर(कृषि) (एम० एस० सी० कृषि) उपाधि । (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ।	04

14.	विस्तार सेवा अधिकारी श्रेणी-2 खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग रू0 15600-39100+5400	विज्ञान स्नातक (बी0एस0सी0) या विज्ञान स्नातक (कृषि), बी0एस0सी0(कृषि) की उपाधि के बाद राजकीय फल परिरक्षण एवं डिब्बा बन्दी संस्थान, से 15 मास का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम किया हो या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होटल प्रबन्ध और भोजन प्रबन्ध में तीन वर्षीय डिप्लोमा किया हो, या खाद्य प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि (एम0एस0सी0) प्राप्त की हो या खाद्य प्रसंस्करण में विशेष प्रश्नपत्र विषय के साथ उद्यान में विज्ञान स्नातकोत्तर (एम0एस0सी0) उपाधि।	01
15.	नायब तहसीलदार राजस्व परिषद वेतनमान-रू0 9300-34800 ग्रेड पे-4200 पुनरीक्षित वेतन-35400-112400 मैट्रिक्स लेवल-6	स्नातक अधिमानी- 1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	150
16.	उपकारापाल कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं वेतनमान-रू0 9300-34800 ग्रेड पे-4600 पुनरीक्षित वेतन-44900-142400 मैट्रिक्स लेवल-7 अधिमानी- 1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो। (शारीरिक मापदण्ड भी निर्धारित है) (केवल लिखित परीक्षा)	1-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता 2-देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।	76
17	कर निर्धारण अधिकारी नगर विकास अनुभाग-4 वेतनमान-रू0 15600-39100 ग्रेड पे-5400 पुनरीक्षित वेतन-56100-177500 मैट्रिक्स लेवल-10 (केवल लिखित परीक्षा)	55 प्रतिशत अंकों सहित कामर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि	12

18.	लेखा एवं सम्प्रेक्षाधिकारी मंडी परिषद् वेतनमान-रु0 15600-39100 ग्रेड पे-5400 पुनरीक्षित वेतन-56100-177500 मैट्रिक्स लेवल-10 (केवल लिखित परीक्षा)	एक विषय के रूप में लेखा शास्त्र के साथ वाणिज्य में स्नातक और किसी उत्तरदायित्व पूर्ण हैसियत में लेखा कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव । अधिमानी- लेखा परीक्षा/लेखा में उच्च अर्हता के लिए अधिमान दिया जायेगा।	16
19.	विपणन अधिकारी मंडी परिषद् वेतनमान-रु0 15600-39100 ग्रेड पे-5400 पुनरीक्षित वेतन-56100-177500 मैट्रिक्स लेवल-10 कृषि अर्थशास्त्र/कृषि विपणन में स्नातकोत्तर अथवा ए.आई. सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एम.बी.ए. (एग्रीबिजनेस मैनेजमेन्ट) अथवा समकक्ष उपाधि (केवल लिखित परीक्षा)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि अधिमानी- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि.	01
20.	विधि अधिकारी मंडी परिषद् रु0 15600-39100+5400 (केवल लिखित परीक्षा)	विधि स्नातक के साथ बार काउन्सिल आफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त बार काउन्सिल में रजिस्टर्ड हो एवं बार काउन्सिल/बार एसोसिएशन द्वारा प्रदत्त पाच वर्ष की प्रैक्टिस का प्रमाण-पत्र हों।	01
21.	विधि अधिकारी लोक निर्माण अनुभाग-4 रु0 9300-34800+4600 (केवल लिखित परीक्षा)	1-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि। 2-संवधित विधिज्ञ परिषद या भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त सम्बद्ध विधिज्ञ संघ (बार एसोसिएसन) में पंजीकरण और विधिज्ञ परिषद/विधिज्ञ संघ द्वारा निर्गत/प्रमाणित 02 वर्षीय अनुभव प्रमाण-पत्र अधिमानी- 1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	22

22	विधि अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग रु0 9300-34800+4600 (केवल लिखित परीक्षा)	1-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि। 2-संबंधित विधिज्ञ परिषद या भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त सम्बद्ध विधिज्ञ संघ (बार एसोसिएशन) में पंजीकरण और विधिज्ञ परिषद/विधिज्ञ संघ द्वारा निर्गत/प्रमाणित 02 वर्षीय अनुभव प्रमाण-पत्र अधिमानी- 1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	01
23.	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक गन्ना एवं चीनी विभाग रु0 9300-34800+4600 (केवल लिखित परीक्षा)	कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि तथा कम्प्यूटर संचालन में सी0सी0सी0 प्रमाणपत्र	12
24.	पशुचिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी नगर विकास अनुभाग-4 पुनरीक्षित वेतन-56100-177500 मैट्रिक्स लेवल-10 (केवल लिखित परीक्षा)	पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातक (बी. वी. एस.सी. एण्ड. ए. एच.) अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि अधिमानी- 1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	14

विशेष चयन

क्र. सं.	पदनाम/विभाग का नाम/ वेतनमान	अर्हताएं (अनिवार्य एवं अधिमानी)	कुल पद
25.	खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग पुनरीक्षित वेतन-रु044900-142400 मैट्रिक्स लेवल-7	(एक) मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव-रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या औषधि में उपाधि। या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष/मान्यता प्राप्त अर्हता, परन्तु किसी व्यक्ति को जिसका विनिर्माण आयात या किसी खाद्य पदार्थ के विक्रय में कोई वित्तीय हित हो, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। अधिमानी- 1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो। या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	09

शारीरिक मापदण्ड

उपकारापाल पद हेतु शारीरिक मापदण्ड निम्नवत् है:-

अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊँचाई (से०मी० में)	सीने की माप (बिना फुलाए)	सीने का फुलाव न्यूनतम (से०मी०)
1- पुरुष अभ्यर्थियों के लिए	168 से०मी०	81.3 से०मी०	0.5 से०मी०
2- महिला अभ्यर्थियों के लिए	152 से०मी०	वजन 45 से 58 कि०ग्रा०	

अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में ऊँचाई की माप निम्नवत् है-

पुरुष - 160 से.मी.

महिला - 147 से.मी.

नोट:- आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि 13 नवम्बर, 2019 तक अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित अनिवार्य/अधिमानी अर्हता अवश्य धारित करना चाहिए।

आयु सीमा:-

अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2019 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

आयुसीमा में छूट:-

(क) उ०प्र० के अनुसूचित जाति, उ०प्र० के अनुसूचित जनजाति, उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ०प्र० के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों तथा उ०प्र० राज्य सरकार के कर्मचारियों, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयुसीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। यह छूट केवल उ०प्र० के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी।

(ख) उ०प्र० के समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिसूचित/चिन्हित पदों की उपलब्धता की स्थिति में अधिकतम आयुसीमा 15 वर्ष अधिक होगी।

(ग) उ०प्र० के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने सेना में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, समूह 'ख' हेतु अधिकतम आयुसीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी परन्तु समूह 'ख' के पदों हेतु आरक्षण देय नहीं होगा। परीक्षा में समूह 'ग' के पदों की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार आयुसीमा में छूट एवं आरक्षण देय होगा। स्व. संग्राम सेनानी के आश्रितों को आयु सीमा में कोई छूट अनुमन्य नहीं है।